

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 1 (2) (1) आ.प्र./ स.आ./राका/एल.सी./2011 2689-90 जयपुर, दिनांक: 3-3-11

जिला कलेक्टर

बासंवाड़ा / डूंगरपुर

राजस्थान, जयपुर।


विषय:— माह मार्च 2011 के राहत कार्यो हेतु श्रमिक सीमा का निर्धारण।

प्रसंग:— इस विभाग का श्रम सीमा निर्धारण आदेश क्रमांक समसंख्यक
2066--78 दिनांक 21.2.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 21.2.2011 द्वारा आपके जिले को 21 फरवरी 2011 से राहत कार्य प्रारम्भ करने हेतु क्रमशः 2000 एवं 300 श्रमिकों की सीमा का निर्धारण कर आदेश जारी किये गये थे। मार्च 2011 के राहत कार्यो के लिए भी यही श्रम सीमा पुनः अधिकृत की जाती है। अन्य सभी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक: 2066--78 दिनांक 21.2.2011 द्वारा जारी अनुसार ही प्रभावी होंगे।

भवदीय,


शासन उप सचिव